

## न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम० आर० केश नं०- 97 / 2022-23

### —:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित । आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी । अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक- 789, दिनांक- 07.07. 2022 से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है । जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक बिन्नी लाल सोरेन पिता- स्व० बाबुलाल सोरेन, साकिम- आमाघाटा, थाना- गोविन्दपुर, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- आमाघाटा, मौजा नं०- 170, गत् खाता सं०- 41, गत प्लॉट सं०- 494, नया खाता सं०- 130, नया प्लॉट सं०- 577, रकवा- 08 डिसमील भूमि क्रेता सविता कुमारी मुर्मू, पिता- सुकलाल मुर्मू, साकिम- दलदली, बरवा पूर्व, थाना- गोविन्दपुर, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं । अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के संथाल हैं तथा दोनों एक ही थाना- गोविन्दपुर, जिला- धनबाद के निवासी हैं । जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 2 एकड़ 07 डिसमील शेष भूमि बचती है । अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है ।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित,  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धनबाद ।